महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com
Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांकः–1815 / कु0का0 / 2023 दिनांकः 24 / 07 / 2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान,
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्याल आजमगढ़।

विषयः–निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2023–24) लिए पाठ्यकम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–7 के पत्र संख्या–195 / सत्तर–7–2023–बी0एड0(16) / 2011, दिनांक 17 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि एन०सी०टी०ई० नियमावली, 2002 के प्रस्तर–6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या– 1561 / सोलह–1–2008–5(डब्ल्यू–48) / 2003 दिनांक 01.05.2008, द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या– 2463 / 2008– सोलह–ए–5(डब्लयू–48) / 2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2023 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में हुयी।

2– समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या–223 / सत्तर–7–2020–बी०एड० (16) / 2011 दिनांक 24.06.2020 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250 /– तथा द्वितीय वर्ष रु० 30,000 /–को पुनर्निर्धारित किए जाने पर सम्यक् विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रदेश की निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु शुल्क न बढाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा पूर्व की भांति बी०एड० प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू 51,250 /– तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू 30,000 /– निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
24.07.23
(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–7।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner